



सं०सं०: SHSB/GA/HR/1685/2016

## आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन सं० 02/16 (पी०आर०सं० 195 नि०नि० 16-17) के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के चिन्हित 15 जिलों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मेडिकल ऑफिसर फूल-टाईम के संविदागत पद पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश ज्ञापांक 1864 दिनांक 14.06.2016 एवं ज्ञापांक 2220 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा नियोजित अभ्यर्थियों को विभिन्न जिला/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवंटित/पदस्थापित किया गया था।

उक्त नियोजित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण रिक्त पदों पर मेधासूची के शेष अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमानुसार, कोटिवार अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	पंजीकरण सं०	नाम	जन्म तिथि	जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1	2	3	4	5
1.	152027	Dr. Sanjeev Kamal	01.01.1982	Aghoria Bazar, Muzaffarpur
2.	151045	Vikash Narayan Dhar	25.12.1984	Rukunpura, Patna
3.	151066	Shilpi Chauhan	03.08.1981	Urdu Bazar, Darbhanga
4.	152001	Archana Kumari	08.01.1983	Dharahra, Bhojpur
5.	152039	Krishn Dayal Jha	01.03.1983	Nath Nagar Budhia, Bhagalpur
6.	151019	Anant Shankar	16.02.1982	Ambedkar Bhawan, Munger
7.	151036	Dr. Sumit Sharan	01.01.1982	Tel Bigha, Gaya
8.	152003	Gaurav Kumar Abhishek	19.01.1991	Veda, Rohtas
9.	152020	Chandrashekhar	01.03.1986	Delha, Gaya
10.	152019	Navin Kumar	16.01.1977	Naaglok, Munger
11.	152043	Prakash Ranjan	24.11.1984	Muradabad, Rohtas
12.	152029	Manish Kumar	12.05.1985	Naya Tola Sacchidanand Nagar, Bhagalpur
13.	151075	Deepak Kumar	05.01.1979	Digha Mushari, Patna
14.	152056	Sharat Ranjan	25.12.1982	Kanhauli, Muzaffarpur
15.	151060	Vijay Kumar Bharti	10.02.1987	Champanagar, Bhagalpur
16.	151074	Dr. Shabbir Ahmad	17.05.1985	Katarihill, Gaya
17.	152004	Amarjeet Kumar	31.12.1986	Sohsarai, Biharsharif, Nalanda
18.	152071	Pawan Kumar Gupta	01.03.1979	Sahebganj Harizon Tola, Bhagalpur
19.	152041	Ravi Ranjan Kumar	28.12.1981	Badi Dargah, Biharsharif, Nalanda
20.	152013	Sudhanshu Him	25.12.1985	Kaushal Nagar, Patna
21.	151003	Nagmani Raj	20.02.1981	Balu Ghat, Muzaffarpur





22.	151039	Prabhat Ranjan	26.02.1983	Maulabagh, Bhojपुरा
23.	151002	Anitesh Kumar	05.11.1985	Shastrinagar, Patna
24.	151062	Sawan Kumar Suman	01.07.1982	West Lohanipur, Patna
25.	152072	Dr. Kamakhya Narayan Prasad	21.04.1982	Chandpur Bela, Patna
26.	152082	Shashi Ranjan	02.08.1988	Ram Sagar Talab, Gaya

उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- i. दिनांक 10.12.2016 तक उपरोक्त तालिका के स्तंभ-5 में अपने नाम के सामने अंकित जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
- ii. योगदान के पश्चात् सभी नवचयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
- iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए है। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- v. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vi. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त (antecedent) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- viii. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त (antecedent) का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच की क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।





- ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन **Medical Officer-Full Time** के संविदागत पद हेतु उक्त सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को एक मुस्त मानदेय ₹31,500/- (इक्तीस हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह का भुगतान जिला स्तर से किया जाएगा।
- x. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की उपविधियाँ एवं सेवा नियमावली तथा सेवा शर्तों संबंधी समय-समय पर निर्गत अनुदेश/आदेश इन पर लागू होंगे।
3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त निदेश के अनुपालन की सूचना वे अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrccell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/1685/2016/.....<sup>5683</sup>

पटना, दिनांक: 01/12/2016

- प्रतिलिपि:** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** अपर निदेशक-वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-NHM/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों (Medical Officer-Full Time) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट **www.statehealthsocietybihar.org** पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

-सह-

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

